33/2024
आशीष-बनाम/[illegible]
धारा-212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/11/25	उपस्थित: वकील प्रार्थी/वकील अप्रार्थी सं० 1 को मूल वाद में [illegible] पर जवाब का अवसर देने एवं [illegible] दिनांक 28/5/25 से [illegible] अवसर देने के उपरांत आज भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः उनका जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र दिनांक 8/1/26 को पेश हो। [initials] सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर	
8/1/26	उपस्थित: केवल वकील अप्रार्थीगण उप०। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर वकील अप्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर आदेश [illegible] गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा० पत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो एवं संग्रह [illegible] हो। [initials] सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर	UCY [signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 33/2024

1– श्री भागचन्द
2– श्री पप्पू
पुत्रगण स्व0 श्री कानाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम छातड़ी, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री प्रेम पुत्र श्री रामदेव, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम छातड़ी, तहसील व जिला अजमेर
2– राज. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
3– उप पंजीयक, अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री हरिसिंह चौहान, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक – 08.01.2026

1. प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री कानाराम ग्राम छातड़ी, तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 382, 388, 395, 399, 400, 401 व 404 जिसके नये खसरा संख्या 140, 292, 293, 294, 295, 265, 269, 285, 286, 288, 289 व 291 के अपने जीवनकाल में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे। स्व0 श्री कानाराम लगभग 8 वर्ष पूर्व अपने निधन के उपरान्त प्रार्थीगण को विधिक वारिसान के रूप में छोड़कर गये। प्रार्थीगण के पिता के दो अन्य पुत्र पूनम व कालू उर्फ छोटू का निःसन्तान निधन पूर्व में ही हो चुका है व पूनम की पत्नि का भी निधन हो चुका है। कालू उर्फ छोटू की पत्नि अन्य के यहां नाते चली गई। इस प्रकार स्व0 श्री कानाराम के प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है एवं वे विरासत में प्राप्त उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं, जिसमें किसी भी अन्य का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी अन्य को कोई किसी प्रकार का दखल करने का हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का रिश्तेदार है व वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। इसके बावजूद भी वह आये दिन प्रार्थीगण को तंग परेशान करता रहता है और आराजी का कब्जा छीनने पर आमादा रहता है तथा आराजी को अन्य को बेचान करने की भी धमकी देता है। वह ऐलानिया

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

कह रहा है कि उसने प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी के फर्जी कागजात तैयार कर लिये है एवं वह प्रार्थीगण से आराजी का कब्जा छीन लेगा अथवा भूमि को अन्य को बेचान कर देगा। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 14.05.2024 को भी मौके पर आकर प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी छोड़कर चले जाये एवं वह जल्द ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे आराजी को अन्य को बेचान कर देगा। प्रार्थीगण विवादित आराजी के विरासतन खातेदार काश्तकार है और आराजी का विरासत नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के भी अधिकारी हैं किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 नामान्तरकरण खोलने में शिथिलता बरत रहे हैं। यदि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की प्रश्नगत आराजी को फर्जी दस्तावेज के सहारे अन्य को बेचान कर देता है या कब्जा छीन लेता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण के हक में विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोलते हैं तो प्रार्थीगण को असहनीय व अपार क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के विरासतन खातेदार काश्तकार होकर मालिक काबिज हैं व उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल नहीं करने तथा रहन, बेचान व मुंतकिल करने अर्थात मौके एवं रिकार्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन करने से अप्रार्थीगण एवं उनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार, असाईनीज, मुख्त्यार इत्यादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया एवं पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को वकील अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहे।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

3. हमने विद्वान वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश जमाबन्दी सम्वत 2041 में ग्राम छातड़ी के खसरा संख्या 382, 388, 395, 399, 400, 401 व 404, आधार जमाबन्दी सम्वत 2065 से 84 (वास्तविक सम्वत 2065) में खसरा संख्या 265, 269, 275, 285, 286, 288, 289 व 291 एवं अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में खसरा 269, 285, 286, 288, 289 व 291 में काना वल्द लादू सा0दे0 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आधार जमाबन्दी सम्वत 2065 से 84 में खसरा संख्या 140, 292, 293, 294 व 295 में रामदेव वल्द लाला व लादू वल्द काना सा0दे0 खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजी खसरा संख्या 382, 388, 395, 399, 400, 401 व 404 जिसके नये खसरा संख्या 140, 292, 293,

294, 295, 265, 269, 285, 286, 288, 289 व 291 बने हैं। वादग्रस्त आराजियात के नये खसरा संख्या 265, 269, 275, 285, 286, 288, 289 व 291 में प्रार्थीगण के पिता काना वल्द लादू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज होना पाया गया है किन्तु खसरा संख्या 140, 292, 293, 294 व 295 में रामदेव वल्द लाला व लादू वल्द काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता का नाम पृथक-पृथक खसरा नंबरान में दर्ज होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा रामदेव वल्द लाला व लादू वल्द काना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आराजियात बाबत भी अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है एवं आराजियात विरासत में प्राप्त होने का कथन किया गया है जबकि उक्त आराजियात उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 अपनी-अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात पर काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 जो कि स्वयं की आराजियात पर काबिज काश्त हैं, को विधि के प्रतिपादित प्रावधानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को उनके हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित करने के अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थीगण को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता की पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज है तथा जिसका उपयोग उपभोग वे मौके पर करते आ रहे हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पृथक-पृथक खसरा नंबरान के रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं मौके पर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो रही है, अपने इस कथन को भी वे साबित करने में असफल रहे हैं, जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 08.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(रत्न कौर)
सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर
सहायक कलेक्टर (मुख्यालय)
अजमेर